न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 111/2020

आरसीएमएस नं. 2021/111

तुलछी देवी पुत्री चुन्नी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा।

—अपीलार्थी

बनाम

1. चुन्नी दुख्तर मुला पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. विद्यादेवी पुत्री भूराराम पत्नी जीतराम जाति जाट निवासी धुनावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
4. भागवंती पुत्री भूराराम पत्नी अग्रसैन जाति जाट निवासी धुनावाली तहसील राणिया जिला सिरसा।
5. गीता पुत्री भूराराम पत्नी संदीप जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा
6. हुणताराम पुत्री श्री भूराराम जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व हनुमानगढ।
8. दीपक पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरीता पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एनडीआर व जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्र. सं. 120/2017 अनवान हुणताराम बनाम चुन्नीराम

उपस्थितिः–

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भवानी सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या, 1 व 2

श्री अमरीक सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 ता 5

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 6

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

श्री प्रहलाद कुमार सुथार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 8

(2) अपील संख्या 90/2021

आरसीएमएस नं. 2021/90

तुलछी देवी पुत्री चुन्नी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एनडीआर व जिला हनुमानगढ।
2. चुन्नी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एनडीआर व जिला हनुमानगढ।
3. पूजा पुत्री राजेन्द्र } नाबालिगान कुदरती वली माता सरिता पत्नी राजेन्द्र जाति जाट
4. दीपक पुत्र राजेन्द्र } निवासी ढाणी 10 एनडीआर तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2020

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ

प्र. सं. 76/2018 अनवान रामकुमार बनाम राजेन्द्र आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भवानी सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या, 1 व 2

श्री प्रहलाद कुमार सुथार रेस्पोडेण्ट सं0 3, 4

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांक 17.04.2023

1. उपरोक्त दोनों अपीलों में अपील तुलछी बनाम चुन्नी अपील सं. 111/2020 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व वाद हुणताराम बनाम चुन्नी वाद सं. 120/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017 व अपील तुलछी बनाम राजेन्द्र अपील सं. 90/2021 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा वाद राम कुमार बनाम राजेन्द्र वाद सं. 76/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में वादग्रस्त भूमि समान होने व पक्षकार एक ही होने के कारण दोनों अपीलों को एक साथ समेकित कर अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. अपील तुलछी बनाम चुन्नी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 6 हुणताराम ने विचारण न्यायालय में अपनी माता चुन्नी पुत्री मुला के धारण की भूमि चक–10 एन.डी.आर. तादादी 6.200 हैक्टेयर व चक–7 एन.डी.आर. तादादी 6.942 हैक्टेयर भूमि बाबत् घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया उक्त वाद में रेस्पोडेंट सं. 6 हुणताराम ने वादग्रस्त भूमि में स्वयं व रेस्पोडेंट सं. 2 राजेन्द्र को रेस्पोडेंट सं. 1 चुन्नी के साथ प्रत्येक को 1/3 हिस्सा की घोषणा चाही। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प लखुवाली में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 चुन्नी पुत्री मुला के धारण की भूमि में रेस्पोडेंट सं. 2 राजेन्द्र व रेस्पोडेंट सं. 6 हुणताराम प्रत्येक को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिया। अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक : 17.05.2017 के विरूद्ध स्वयं को रेस्पोडेंट सं. 1 चुन्नी की पुत्री होने के आधार पर बतौर प्रभावित पक्षकार धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके अपील प्रस्तुत करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाकर रेस्पोडेंट सं. 1 चुन्नी के धारण की भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताकर 1/7 हिस्सा की घोषणा का अनुतोष चाहा है। अपील तुलछी बनाम राजेन्द्र में अपील सं. 90/2021 अपीलान्टा ने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2020 को चुनौती दी है। उक्त डिक्री में रेस्पोडेंट सं. 1 राजेन्द्र को न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा वाद अनवानी हुणताराम बनाम चुन्नी वाद सं. 120/2017 अन्तर्गत धारा–88 आरटी एक्ट के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 चुन्नी के धारण की भूमि चक–10 एन.डी. आर. तादादी 6.200 हैक्टेयर व चक–7 एनडीआर तादादी 6.942 हैक्टेयर भूमि में प्राप्त 1/3 हिस्सा भूमि में न्यायालय सहायक कलैक्टर उप.अधि. हनुमानगढ़ द्वारा रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 को राजेन्द्र की धारण की भूमि में राजीनामा के आधार पर प्रत्येक को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया है। अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिक्री को बतौर प्रभावित पक्षकार धारा–96 सीपीसी के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2020 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

3. यह कि अपील प्रस्तुत होने पर दोनों अपीले दर्ज रजिस्टर की गई व दोनों अपीलों रेस्पोडेंट के अभिभाषक उपस्थित आये। अपील तुलछी बनाम चुन्नी में रेस्पोडेंट सं. 2 व 6 के अभिभाषक द्वारा धारा–96 सीपीसी व धारा–5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किये अपील तुलछी बनाम रजोन्द्र में रेस्पोडेंट सं. 1 के अभिभाषक ने धारा–96 सीपीसी व धारा–5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया व प्रार्थना–पत्र आदेश–41 नियम–27 सीपीसी के तहत दस्तावेज प्रस्तुत किये।

4. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्टा ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटा के माता चुन्नी के धारण की पैतृक सम्पत्ति में रेस्पोडेंट राजेन्द्र व हुणताराम ने घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करके

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेंट चुन्नी के साथ सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाया है व रेस्पोडेंट राजेन्द्र के नाम 1/3 हिस्सा की भूमि दर्ज होने पर उक्त 1/3 हिस्सा में राजेन्द्र के वारिसानों के नाम भूमि दर्ज करवायी है। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति है व अपीलान्टां बतौर वारिस वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस की हकदार है। इसलिये बतौर प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी है। अपीलांटा का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये। अपीलांटा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार थी, परन्तु अपीलांट व उसकी बहनों को पक्षकार नहीं बनाया। इसलिये अपीलांटा को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांन्टा को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी गांव मोहन मगरिया जाने पर व रेस्पोडेंट चुन्नी द्वारा निर्णय के बारे में बताने पर हुआ। अपीलान्टा का निर्णय की जानकारी होते ही निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करके बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी। अपील जानकारी की दिनांक से मियाद में प्रस्तुत है व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना प्रभावित पक्षकारों को सुने पारित की गई है जो बिना क्षेत्राधिकार के होने के कारण अपील की कोई मियाद नहीं है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जाकर अन्दर मियाद मानी जावे। गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्टा ने बहस में कथन किया कि अपीलान्टा निर्णय व डिक्री में वर्णित भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलांटा का जन्म से बतौर सहदायिक 1/7 हिस्सा है, परन्तु अपीलांटा को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसलिये अपीलांन्टा बतौर वारिस रेस्पोडेंट सं. 1 चुन्नी उक्त पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाने की अधिकारी है। दोनो अपीले स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट चुन्नी की भूमि में अपीलान्टा को 1/7 हिस्सा की हकदार घोषित की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1999 आरबीजे पेज 566, 2006 आरबीजे पेज 400, 1998 आरबीजे पेज 580, 2009 डीएनजे पेज 990 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. दोनों अपीलों में रेस्पोडेंटगण के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को विधि सम्मत् बताते हुए बहस में कथन कि दोनों अपीलों में अपीलांटा तुलछीदेवी ने रेस्पोडेंट चुन्नी पुत्र मूला के धारण की भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति होना बताकर बतौर प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट चुन्नी के नाम दर्ज भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति नहीं है, बल्कि चुन्नी को वादग्रस्त भूमि अपने पिता स्व. मूला पुत्र खेमा से विरासतन में प्राप्त हुई है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 14 के तहत रेस्पोडेंट चुन्नी वादग्रस्त भूमि की पूर्ण स्वामी है। अपीलांटा का उक्त भूमि में कोई हित नहीं है। इसलिये बतौर प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेंट के अभिभाषक ने इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत RBJ 2020 पेज 569 प्रस्तुत किया। अपील तुलछी बनाम चुन्नी में मियाद के बिन्दू पर बहस में कथन किया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध अपील दिनांक 17.09.2020 को 03 वर्ष 03 माह बाद प्रस्तुत किया व अपील तुलछी बनाम राजेन्द्र निर्णय दिनांक 17.02.2020 के विरूद्ध दिनांक 21.06.21 को एक वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की है। दोनों अपीले पूर्णतया मियाद बाहर है। मियाद के प्रार्थना–पत्र में कोई उचित व संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांटा को दोनों निर्णय व डिक्रीयों की जानकारी निर्णय की दिनांक से ही थी। दोनों अपीले मियाद के बिन्दू पर खारिज की जावे। रेस्पोडेंट ने मियाद के बिन्दू पर न्यायिक दृष्टान्त RRT 2011 - I पेज 614 DNJ 2013 पेज 829 RRT 2014 I पेज 154 RRD 1951 पेज 18 प्रस्तुत की। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर बहस में कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र के साथ रेस्पोडेंट चुन्नी पुत्री मूला के पिता स्व. मूल पुत्र सुखा राजस्व रिकॉर्ड की सत्यप्रति प्रस्तुत की है, जो अपील के सही निस्तारण में सहायक है एवं राजस्व रिकॉर्ड की सत्यप्रति है, इसलिये अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर ली जावे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत RRT 2014 II पेज 1166 प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का कथन किया। रेस्पोडेंट के अभिभाषक ने गुणावगुण पर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। रेस्पोडेंट चुन्नी को वादग्रस्त भूमि अपने पिता मूला पुत्र सुखा से प्राप्त हुई है व वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट चुन्नी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत भी रेस्पोडेंट चुन्नी वादग्रस्त भूमि की पूर्ण एवं एक स्वामी हैं। रेस्पोडेंट चुन्नी के जीवनकाल में अपीलान्टा किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–6 में किये गये संशोधन के तहत भी अपीलांटा किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत राजस्व अभियान में राजीनामा के आधार पर पारित की गई जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। कोई भी खातेदार अपनी स्वअर्जित भूमि को दूसरे पक्षकारों को राजीनामा के आधार पर अन्तरण कर सकता है। रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टांत DNJ 2011 (3) पेज 974 DNJ 2001 II पेज 510 RBJ 2012 पेज 80 RBJ 1998 पेज 615 प्रस्तुत करके अपील खारिज करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया।

8. दोनों अपीले धारा–96 के प्रार्थना–पत्र के साथ बतौर प्रभावित पक्षकार प्रस्तुत की है। अपीलांटा अपने प्रार्थना–पत्र में स्वयं को रेस्पोडेंट सं. 1 चुन्नी की पुत्री होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में स्वयं को आवश्यक पक्षकार होना बताकर वादग्रस्त भूमि में अपना हित होने के आधार पर प्रभावित होना बताया है दोनो पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते है कि रेस्पोडेंट सं. 1 चुन्नी को वादग्रस्त भूमि अपने पिता मूला पुत्र सुखा से विरासत में प्राप्त हुई है, इसलिये उक्त भूमि उक्त सम्पत्ति को अपीलांटा की पैतृक सम्पत्ति नहीं माना जा सकता। न्यायिक दृष्टांत RBJ 2020 पेज 569 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारण किया है कि अपीलांट को यह तथ्य साबित करना होगा कि निर्णय व डिक्री से किस प्रकार प्रभावित है अन्यथा धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज वादग्रस्त भूमि के ही है। उक्त दस्तावेजों में वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट सं.1 चुन्नी के पिता मूला पुत्र सुखा जो कि अपीलांटा का नाना है, के नाम से है व राजस्व रिकॉर्ड की सत्यप्रति है। इसलिये प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संलग्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अपीलांटा द्वारा दोनों अपीले मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसका रेस्पोडेंट द्वारा सशपथ खण्डन किया गया है, परन्तु अपील का मियाद पर निर्धारण से पूर्व गुणावगुण पर विवेचन करना उचित होगा। अपीलांटा ने अपील तुलछी बनाम चुन्नी में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 में राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री को चुनौती दी है व वादग्रस्त भूमि को संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर रेस्पोडेंट चुन्नी के धारण की भूमि में उसके दो पुत्र व चार पुत्रीयां होना मानकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 मे वर्ष 2005 में किये गये संशोधन के आधार पर बतौर सहदायिक की पुत्री होने के आधार पर 1/7 हिस्सा की घोषणा चाही है, यह तथ्य दोनों पक्ष स्वीकार करते है कि चुन्नी को वादग्रस्त भूमि अपने पिता स्व. मूला पुत्र सुखा से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि को पैतृक होना नहीं माना जा सकता एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–14 हिन्दू नारी के कब्जे की कोई भी सम्पत्ति चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई है वह उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर पारित की जायेगी। न्यायिक दृष्टांत DNJ 2011 (3) पेज 947 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह निर्धारित किया है कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–14 के तहत हिन्दू औरत के धारण की सम्पत्ति की वह पूर्ण स्वामी होगी। उसकी सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं माना जा सकता, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट चुन्नी की सम्पत्ति होने के कारण अपीलांटा का वादग्रस्त भूमि में कोई हित नहीं है व अपीलांटा किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांटा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में प्रभावित पक्षकार न होने के कारण एवं अपीले मियाद बाहर होने के कारण एवं गुणावगुण पर भी कोई आधार नहीं होने के कारण अपीले खारिज योग्य बनती है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर दोनों अपीले खारिज की जाती है। अपील तुलछी बनाम चुन्नी में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकार का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 एवं अपील तुलछी बनाम राजेन्द्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकार हनुमानगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2020 यथावत रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.4.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.4.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

(1) अपील संख्या 111/2020

आरसीएमएस नं. 2021/111

तुलछी देवी पुत्री चुन्नी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा।

—अपीलार्थी

बनाम

1. चुन्नी दुख्तर मुला पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. विद्यादेवी पुत्री भूराराम पत्नी जीतराम जाति जाट निवासी धुनावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
4. भागवंती पुत्री भूराराम पत्नी अग्रसैन जाति जाट निवासी धुनावाली तहसील राणिया जिला सिरसा।
5. गीता पुत्री भूराराम पत्नी संदीप जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा
6. हुणताराम पुत्री श्री भूराराम जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व हनुमानगढ।
8. दीपक पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरीता पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एनडीआर व जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्र. सं. 120/2017 अनवान हुणताराम बनाम चुन्नीराम

उपस्थितिः–

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भवानी सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या, 1 व 2

श्री अमरीक सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 ता 5

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 6

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

श्री प्रहलाद कुमार सुथार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 8

(2) अपील संख्या 90/2021

आरसीएमएस नं. 2021/90

तुलछी देवी पुत्री चुन्नी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एनडीआर व जिला हनुमानगढ।
2. चुन्नी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एनडीआर व जिला हनुमानगढ।
3. पूजा पुत्री राजेन्द्र } नाबालिगान कुदरती वली माता सरिता पत्नी राजेन्द्र जाति जाट
4. दीपक पुत्र राजेन्द्र } निवासी ढाणी 10 एनडीआर तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2020.

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ

प्र. सं. 76/2018 अनवान रामकुमार बनाम राजेन्द्र आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः—

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भवानी सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या, 1 व 2

श्री प्रहलाद कुमार सुथार रेस्पोडेण्ट सं0 3, 4

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

आज यह अपील रूबरू हाजिर पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस समायत की जाकरदोनों अपीले खारिज की जाती है। अपील तुलछी बनाम चुन्नी में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकार का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 एवं अपील तुलछी बनाम राजेन्द्र में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकार हनुमानगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2020 यथावत रखी जाती है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.4.23 को जारी की गई।

17.4.23

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़